

UPAN010015982016



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर

Date of Institution	Date of Judgment	Age
16-08-2016	10-02-2026	9 Y, 5 M, 25 D
Date of Argument	Date of Judgment	Age
28-01-2026	10-02-2026	0 Y, 0 M, 13 D
Date of Judgment	Date of Uploading	Age
10-02-2026	10-02-2026	0 Y, 0 M, 0 D

उपस्थित: चन्द्रोदय कुमार, एच०जे०एस०

JO Code: UP06553

सत्र परीक्षण संख्या:-177/2016

राज्य

----- अभियोजन पक्ष

बनाम

- 1. अमर बहादुर पुत्र रामनारायन
- 2. मीना पत्नी अमर बहादुर

निवासीगण ग्राम बहलोलपुर, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर

-----अभियुक्तगण

Chandroday Kumar
Digitally signed by Chandroday Kumar
DN: OU=District Court Ambedkar Nagar, O=Indian Judiciary, CN=Chandroday Kumar, E=dcanb@allahabadhighcourt.in
Reason: I am the author of this document
Location: KNJ
Date: 2026.02.10 17:03:30 +05'30'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

मु०अ०सं०-45/2016

धारा-302,504,506,120बी भा. दं. सं.

व धारा 30आयुध अधिनियम

थाना:-बेवाना

जनपद:- अम्बेडकर नगर

निर्णय

मु०अ०सं०-45/2016 थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर में अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना के विरुद्ध थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 504, 506, 120बी भा. दं. सं. व धारा 30 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के परीक्षण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 03.08.2016 को पत्रावली सत्र न्यायालय को परीक्षण हेतु उपार्पित की गयी है।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथानक है कि वादिनी मुकदमा कंचन द्वारा दिनांक 21.04.2016 को समय लगभग 03:30 बजे थाना बेवाना पर एक लिखित तहरीर यह अंकित करते हुए दी गयी कि "मेरे पड़ोस के पट्टीदार अमर बहादुर पुत्र राम नारायन की पुत्री को गाँव का लडका बहला फुसला कर भगा ले गया था। इसी बात से अमर बहादुर हम लोगो से नाराज रहते थे तथा कहते थे कि तुम्हारी चक्की पर लडका आता जाता था और मेरी पुत्री को भगा ले गया। दिनांक 20.04.2016 की रात समय लगभग 10.30 बजे मैं व मेरे पति उमेश घर से सटे छप्पर के नीचे बैठे थे, लालटेन जल रही थी, तभी अमर बहादुर व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति मोटर साइकिल से आये और मेरे पति को गाली देने लगे तथा बोले कि तुम्हारे कारण मेरी पुत्री भाग गई थी। इसी बीच अमर बहादुर की पत्नी मीना घर के अन्दर से आई और बोली की इसी के कारण मेरी पुत्री भागी है। हमारी समाज में बड़ी बदनामी हुई है, इसे जिन्दा मत छोड़ो। इस पर अमर बहादुर व उसके साथी ने मेरे पति के ऊपर अपने-अपने हाथ में लिए असलहे से फायर कर दिया तथा मेरे पति को गोली मार दिया। गोली की आवाज पर मेरे देवर रमेश पहुँच गये। अमर बहादुर ने धमकी दी, जो भी बोले उसको भी खत्म कर देंगे। गोली मार कर मुल्जिमान भाग गये। रात का समय होने से काफी देर तक साधन की तलाश किये, उसके बाद मेरे पति को मेरे सगे सम्बन्धी जिला अस्पताल ले गये, जहां डाक्टरों ने मेरे पति को मृत घोषित कर दिया। सूचना देने आई हूँ, कार्रवाई करने की कृपा करें।"

4. वादिनी मुकदमा कंचन की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर में हे. कां. कन्हई लाल सरोज द्वारा मु. अ. सं.-45/20161, धारा 302, 504, 506, 120बी भा. दं. सं. अभियुक्तगण अमर बहादुर, मीना व अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया और उसका इन्द्राज उसी दिन जी. डी. रपट नं०-5 समय लगभग 03:30 दिनांक 21.04.2016 पर किया गया।

5. थाने पर प्रकरण की प्राथमिकी पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी तथा दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-7, फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद राइफल, एक अदद खोखा कारतूस व छः अदद जिन्दा कारतूस प्रदर्श क-3 व बरामदगी स्थल आलाकत्ल की नक्शा नजरी प्रदर्श क-9

तैयार की गयी और दौरान विवेचना प्रकरण के लिये वांछित सामयिक एवं प्रसांगिक साक्ष्य को संकलित किया गया और विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना कुमारी के विरुद्ध धारा 302, 504, 506, 120बी भा. दं. सं. व 30 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-8 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के पश्चात प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर के द्वारा दिनांक 20.07.2016 को धारा 302, 504, 506, 120बी भा. दं. सं. व 30 आयुध अधिनियम के अधीन प्रसंज्ञान लिया गया और अभियोजन प्रपत्रों की नकले अभियुक्तगण को धारा 207 द. प्र. सं. के अन्तर्गत प्रदान की गयी तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा आदेश दिनांक 03.08.2016 के द्वारा विचारण हेतु सुर्पुद किया गया।

7. सत्र परीक्षण हेतु पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34, 504, 506, 120बी भा. दं. सं. व अभियुक्त अमर बहादुर के विरुद्ध धारा 30 आयुध अधिनियम के अधीन वर्णित दण्डनीय अभियोग का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या-1 वादिनी मुकदमा कंचन, अभियोजन साक्षी संख्या-2 रमेश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या-3 राम नयन, अभियोजन साक्षी संख्या-4 अशोक कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या-5 उ. नि. कन्हई लाल सरोज, अभियोजन साक्षी संख्या-6 निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या-7 डा. उदयभान को समक्ष न्यायालय परीक्षित कराया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1, फर्द कब्जा लेने खून आलूदा कपड़ा प्रदर्श क-2, फर्द बरामदगी आलाकत्ल प्रदर्श क-3, पंचायतनामा प्रदर्श क-4, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5, कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क-6, घटना स्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क-7, आरोप पत्र प्रदर्श क-8, नक्शा नजरी फर्द बरामदगी आलाकत्ल प्रदर्श क-9, नकल जी. डी. वापसी की कार्बन प्रति प्रदर्श क-10, मृतक का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श क-11, रोजनामचा आम की कार्बन प्रति प्रदर्श क-

12, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क-13, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-14, फोटो नाश प्रदर्श क-15, नमूना मोहर प्रदर्श क-16, पुलिस प्रपत्र सं.-13 चालान शव विच्छेदन हेतु प्रदर्श क-17, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-18 प्रस्तुत किये गये हैं।

10. अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत साक्ष्य दिया जाना कहा है तथा मनमानी व दोषपूर्ण विवेचना के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है। मुकदमा चुनावी रंजिश के कारण चलाया जाना कहा है तथा विशेष कथन में कहा है कि मेरी पत्नी मीना कुमारी गांव का क्षेत्र पंचायत सदस्य (बी. डी. सी.) का चुनाव लड़ी थी, जिसमें प्रतिद्वन्दी फखरुल हसन की पत्नी आलिया खातून भी बी. डी. सी. का चुनाव लड़ी थी। फखरुल हसन अपराधी, दबंग व गोलबंद किस्म का व्यक्ति है। इनके विरुद्ध लगभग एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। फखरुल हसन के खिलाफ, किसी के चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी। चुनाव में ही फखरुल हसन ने धमकी दिया था कि यदि चुनाव जीत जाओगे तब भी कोई काम करने नहीं देंगे। चुनाव लड़ने का अंजाम बुरा होगा। मेरी पत्नी चुनाव जीत गयी थी। फखरुल हसन ने स्वयं घटना कारित करवाकर हम लोगो को फर्जी मुकदमें में फंसाया है। लड़की को भगाने में मृतक व उसने परिवार की कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए मृतक व उसके परिवार के विरुद्ध एफ.आई.आर. नहीं दर्ज कराई थी। सही मुल्जिम के खिलाफ लड़की भगाने की एफ.आई.आर. लिखाया था। लिखित बयान बाद में साबित करेंगे। समय दिया जाए।

11. अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी. डब्लू.-1 अनिल कुमार व डी. डब्लू.-2 संजय को परीक्षित कराया गया है। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. पी. डब्लू.-1 कंचन ने दिनांक 06.10.2016 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "घटना हुये लगभग छः माह हो रहा है। समय 10:30 बजे का था। मैं, मेरे लड़के व मेरे पति उमेश अपने घर के सामने छप्पर में बैठे थे और लालटेन जल रही थी। उसी समय अमर बहादुर व एक आदमी और मोटर साइकिल से आये और मेरे पति को गाली गुप्ता देते हुये कहे कि साले तुम्हारे कारण मेरी लड़की भाग गयी थी। उसी समय उनकी पत्नी मीना घर से निकली और अपने पति अमर बहादुर को ललकारते हुये कही कि इन्हीं के यहां प्रदीप

आता जाता था और मेरी लड़की अन्तिमा को लेकर भाग गया। इस कारण समाज में बड़ी बदनामी हो रही है। इसे जिन्दा मत छोड़ना। इतने में अमर बहादुर व इनके साथ का आदमी अपने हाथ में लिये असलहे से मेरे पति के ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर मेरे देवर रमेश भी आ गये। तब अमर बहादुर ने धमकी देते हुए कहा कि जो भी बोलेगा, उसे आज ही खत्म कर दूंगा और दोनों लोग भाग गए। रात का समय होने के कारण काफी देर तक साधन का तलाश किये। तब मेरे सगे सम्बन्धी मेरे पति को लेकर अस्पताल गये, जहां डाक्टर ने मेरे पति को मृत घोषित कर दिया। इसी रात मैं अपने एक रिश्तेदार से दरखास्त लिखवाकर हस्ताक्षर करके थाना बेवाना में दिया। तब मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। साक्षी को कागज सं०-4अ/3 संलग्न पत्रावली दिखाया, जिस पर अपने हस्ताक्षर को देखकर पुष्ट किया, जिस पर प्रदर्शक-1 अंकित किया गया। घटना के बारे में दरोगा जी मौके पर आए थे, मेरा बयान लिया था और नक्शा नजरी बनाया था।"

13. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्लू.-1 कंचन ने दिनांक 06.10.2016 को सशपथ कथन किया है कि "हमारे दो बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 4 वर्ष है और एक की उम्र 6 वर्ष है। दोनों लड़कियाँ हैं। दोनों लड़कियाँ अपने पापा के साथ थीं। हम लोग आपस में बात कर रहे थे। बच्चियाँ घर के बाहर जो छप्पर है, उसी में सो रही थीं। मेरे पति भी बच्चियों के साथ वहीं पर सोए थे। हमारे घर के सामने चक्की की दुकान है। उसे मेरे पति चलाते थे। सड़क के उस पार दुकान है, इस पार घर है। मैं दिशा नहीं बता सकती। हमारा परिवार संयुक्त है। रमेश व रक्षाराम अपने परिवार के साथ जलन्धर में रहते हैं। मेरे गांव में बिजली है। बिजली से ही चक्की चलती है। घटना के समय विद्युत नहीं थी। लालटेन सामने जल रहा था। दो मिनट मैंने बात की थी। अभियुक्त अपने दो साथियों के साथ आए थे। पल्सर गाड़ी से आए थे। पल्सर गाड़ी इन्हीं की थी। दोनों लोगों के हाथ में असलहे थे। वे दोनों लोगो फायर किये। फायर करने के बाद मैं हल्ला गोहार करने के लिये गयी, लेकिन अमर बहादुर ने धमकी दिया कि बोलोगी, तो तुम्हें भी मार देंगे। इतने पर सब लोग भाग गए। भागने के बाद मेरे देवर घर के अन्दर से आये। लाइट 11:00 बजे आ गयी थी। मेरे पति खून से लतपथ थे और गद्दे पर पड़े थे। तब हम लोग उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में मेरा देवर व ड्राइवर था। गाड़ी किसकी थी, मैं नहीं जानती। गांव वालों में कोई नहीं गया। धमकी दी गई थी। अस्पताल अन्दाजन 02:00 बजे रात पहुंची थी। डाक्टर अन्दर ले गए थे, उन्हें मृत घोषित कर दिया। समय 04:00 बजे रात में मैंने घटना की लिखित सूचना थाने पर अपने हाथ से लिखकर दी थी।

पुलिस मेरे यहां कब पहुंची, मैं समय नहीं बता सकती। मैं अस्पताल से लाश सीधे घर लेकर गई थी। घर पर सब रोने पीटने लगे। गांव के लोग भी आ गये। लगभग 100-50 की संख्या में लोग जुट गए थे। मैं किसी का नाम नहीं जानती। मैं दो बच्चियों को लेकर घर के अंदर ही रहती हूँ। घर के बाहर नहीं निकली, तो गांव वालों का नाम कैसे बता सकती हूँ? अमर बहादुर की पत्नी घर के अन्दर सोती है। घटना के समय पूरा गांव सो रहा था या जाग रहा था, मैं नहीं बता सकती। जब हम लोग जग रहे थे, तब अगल बगल कोई नहीं था। घटना के दिन ही अमर बहादुर की पत्नी ही ललकार कर मरवायी थी। घटना जब हुई, तब मैं होश में थी, बेहोश नहीं हुई थी। फायर की आवाज़ पर बच्चे जाग गए थे। घटना के पहले हम लोगों से मुल्जिमान से कोई झगड़ा विवाद नहीं था। दोनों पक्षों में बोल-चाल थी। अमर बहादुर गाड़ी बनाते हैं। अमर बहादुर के पास एक मोटर साइकिल है। अमर बहादुर के तीन बच्चे हैं, नाम जानती हूँ। मुकदमा लिखाने के लिए थाने पर मैं अपने भाई के साथ गई थी। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त अमर बहादुर की पत्नी की ईष्या में मुकदमा लिखवा दिया है। यह भी कहना गलत है कि गांव वालों के कहने पर मैंने एफ.आई.आर. करवा दिया। मैं लाश के साथ लिपटकर रोने लगी। लाश तख्ते पर थी। मेरे कपड़ों में खून लग गया था। मेरा खून लगा सूट जो मैं उस समय पहनी थी। वह दरोगा जी ने लिया था तथा लिखा-पढ़ी किया था। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी हो। यह भी कहना गलत है कि घटना की रात मैं घर पर न रही हूँ।"

14. पी. डब्लू.-2 रमेश कुमार ने दिनांक 02.11.2016 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "घटना दिनांक 20.04.2016 के समय 10:30 बजे रात की है। मैं अपने घर के अंदर सो रहा था। अचानक गोली चलने की आवाज व गाली गलौज की आवाज सुनकर घर के बाहर आया, तो देखा कि मेरा भाई उमेश छप्पर के नीचे तख्त पर गिरा पड़ा था और उसके पसली के नीचे से खून बह रहा था। मौके पर अमर बहादुर अपने हाथ में बन्दूक लिए साथ में एक आदमी और असलहा लिए खड़ा था। उसे मैं नहीं जानता। अमर बहादुर ने धमकी दी कि जो बोलेगा, उसे खत्म कर दूंगा। बगल में मेरी भाभी कंचन बैठी रो रही थी। मेरा भाई छटपटा रहा था। मेरे भाई उमेश ने बताया कि हमे अमर बहादुर ने मारा है। उसके बाद हम लोग अपने भाई उमेश को लेकर जिला अस्पताल गए। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मेरी भाभी ने थाने पर दी थी। अभियुक्त अमर बहादुर की लड़की अन्तिमा को गांव का लड़का प्रदीप भगा ले गया था। प्रदीप कभी कभी मेरे भाई की चक्की पर बैठता

था। उसी रंजिश के कारण अभियुक्त अमर बहादुर व उसकी पत्नी मीना कुमारी ने मेरे भाई की हत्या कर दिया। दरोगा जी घटना स्थल से मिट्टी व खून अलूदा मिट्टी लेकर लिखा-पढ़ी किए थे। मीना के निशानदेही पर उनके घर से मेरे सामने उनकी लाइसेंसी बन्दूक बरामद किये थे तथा लिखा पढ़ी करके उस पर मेरा दस्तखत करवाये थे और घटना के बारे में हमसे पूछताछ किये थे। "

15. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्लू.-2 रमेश कुमार ने दिनांक 02.11.2026 को सशपथ कथन किया है कि "घटना 20 अप्रैल की है। मेरा घर चार पांच कमरे का है। सभी कमरों में दरवाजा लगा है। मेरे घर के बीच में आंगन है। आंगन के पश्चिम में मेरा कमरा है, जिसमें मैं सो रहा था। मेरे पिता घर के बाहर सोते हैं। छप्पर में मेरे पिता सोते हैं। सबसे बड़े भाई सबसे अलग रहते हैं। घर के पिछले हिस्से के कमरे में उमेश रहते थे। इनकी पत्नी भी उसी कमरे में सोती थी। घटना के समय सब लोग सो गए थे। मेरी माता जी नहीं हैं। मेरी पत्नी है। मेरे साथ ही पश्चिम वाले कमरे में सोती हैं। मुख्य गेट है। सोते समय मेन गेट बन्द हो जाता है। उस समय भाभी बैठकर बात कर रही थी। मैं बात को सुन रहा था। मेरी पत्नी भी जाग रही थी, वह भी बातें सुन रही थी। घटना से पहले अमर बहादुर व उनके परिवार से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अन्तिमा मेरे सगे पट्टीदार की लड़की है। मेरी भी लड़की लगती है। प्रदीप नाम के लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं था। बतौर ग्राहक आता जाता था। अभियुक्ता मीना से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमें ऐसी अनहोनी घटना की कोई संभावना नहीं थी। अमर बहादुर से गांव में कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और न ही इनके विरुद्ध कभी कोई मुकदमा चला है। अन्तिमा घर से जाने के बाद लगभग एक-दो घंटे में आ गई थी। घटना स्थल मड़हा/छप्पर से सटे वाले छप्पर में मेरे पिताजी सोए थे। घटना के समय मेरे साथ पत्नी भी आयी थी। मेरी पत्नी का नाम कलावती है। मैं अमर बहादुर को पहचाना हूँ। उनके साथी को नहीं पहचाना था। घटना के तुरन्त बाद वे लोग भाग गये। गाड़ी से भागे थे। मैं गाड़ी का नाम नहीं बता सकता हूँ। अमर बहादुर के परिवार के लोग घर छोड़कर भागे नहीं थे। अमर बहादुर असलहा लेकर भागे थे। घटना के समय मेरे भाई तख्त पर थे। तख्त पर कथरी/गद्दा बिछा था। मैं जैसे ही घर से दो कदम निकला, वैसे ही वे लोग भाग गए। उस समय मेरे पिता व अगल-बगल के लोग जाग गए। दरवाजे पर काफी भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले मेरे दरवाजे पर कुर्बान पुत्र रहमान आये थे। कुर्बान की पत्नी व उनके भाई लालू भी आये थे। सूर्यभान आए थे और लोग का नाम नहीं बता सकते। अमर बहादुर दोस्तपुर

चौराहे पर मोटर साइकिल बनाते हैं। उनकी दुकान है। अमर बहादुर के आने का समय कभी दो बजे, कभी आठ बजे रात तो कभी नौ बजे आते थे। मैंने एफ. आई. आर. लिखाई थी। भाभी ने अपने हाथ से लिखी थी। मैं भी अपनी भाभी के साथ थाने गया था। गांव के लोग भी थाने गए थे। घटना के तुरन्त बाद मैं थाने पर गया था। जब तक हम लोग थाने गए थे, तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। पुलिस के आने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। पुलिस ने उमेश का बयान लिया था। उमेश ने स्वयं अपने साथ घटी घटना को बताया था। घटना के समय अमर बहादुर थे तथा उनका एक साथी भी था और मीना भी थी। सभी मुल्जिमान मोटरसाइकिल से भागे थे। एक हफ्ते बाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। अमर बहादुर चुनाव लड़े थे, मैंने वोट दिया था। अमर बहादुर अपनी बन्दूक बरात में आतिशबाजी के लिए ले जाते थे। हमारे यहां बिजली है। 24 घंटों में एक-दो घंटों के लिए विद्युत् आ जाती है। घटना के समय विद्युत् नहीं थी। लालटेन जल रही थी। सामान्य अवस्था में जल रही थी। मुल्जिमान हमसे पचास मीटर की दूरी पर थे। यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी। जनता के लोगों ने बताया तब मैंने एफ. आई. आर. दर्ज करवाया। यह कहना गलत है कि मैं मृतक का भाई होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ। मृतक उमेश कुमार मेरा सगा भाई था। हम पांच भाई हैं। मेरे बड़े भाई अशोक परिवार से अकेले अलग रहते हैं। मेरे घर से बनवा रोड़ आधा-एक कि. मी. की दूरी पर है। बनवा रोड़ मेरे घर से पूरब तरफ है। मेरे घर का सहन दरवाजा उत्तर तरफ है। मेरे घर में दरवाजा लगा है। रात में दरवाजा बन्द कर लेता हूँ। इसके बाहर सटा ओसारा है। मेरा भाई ओसारा में सो रहा था, मैं घर के अन्दर सो रहा था। मैं जब घर के अन्दर से बाहर निकला तो मेरा भाई चोट खाकर तख्त के नीचे गिर पड़ा था। मेरा भाई खून से लतपथ था। जब मैं मौके पर पहुंचा, तो मीना वहां पर नहीं थी। घटना की रात मैं अपने साढ़ू के यहां शादी में गया था, घर पर नहीं था। फिर कहा कि भाई के साढ़ू की लड़की की शादी थी। मेरा भाई शादी में गया था। मेरा व अमर बहादुर का घर आमने सामने है। मीना कब गिरफ्तार हुई थी, हमें नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि मैंने मीना को फर्जी फँसाया है। घटना वाली रात मेरी मुलाकात दरोगा जी से हुई थी। रात में दस बजे हुई थी। उमेश मेरे भाई के शव के पोस्टमार्टम होने तक मैं दरोगा जी के साथ था। पोस्टमार्टम होने के बाद मैं घर चला आया था। मेरी मुलाकात दूसरे दिन सुबह दरोगा जी से फिर हुई थी। शव के दाह संस्कार के बाद दूसरी मुलाकात दरोगा जी से हुई थी। दूसरी मुलाकात में दरोगा जी मेरा बयान लिखे थे। यह कहना गलत है कि घटना वाली रात मैं घर पर न रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि

मेरे सामने ऐसी कोई घटना न घटी हो।"

16. पी. डब्लू.-3 राम नयन ने दिनांक 07.02.2017 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "मृतक उमेश कुमार मेरे रिश्तेदार थे। दिनांक 21.04.2016 को मैं उनके घर घटना सुनकर ग्राम बहलोलपुर गया था। मेरे पहुंचने के बाद घटना की विवेचना करने दरोगा जी आये थे। हत्या की घटना स्थल से मेरे सामने खून आलूदा कपड़ा कब्जे में लेकर लिखा-पढ़ी की गई थी। लिखा-पढ़ी करके दरोगा जी ने हमें सुनाया था और मेरा हस्ताक्षर फर्द पर बनवाया था। जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या 7अ/3 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। उसी दिन घटना में इस्तेमाल की गयी एक रायफल लाइसेंसी भी दरोगा जी ने मेरे समक्ष अभियुक्त अमर बहादुर के घर से बरामद की गयी थी, जिसकी फर्द तैयार करके दरोगा जी ने पढ़कर सुनाया था। तब मैंने उस पर हस्ताक्षर किया था, जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या 7अ/4 है, जिसे तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।"

17. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्लू.-3 राम नयन ने दिनांक 07.02.2017 को सशपथ कथन किया है कि "मेरा नाम राम नयन है। मृतक मेरे दामाद थे। हमें घटना की सूचना दिनांक 21.04.2016 को 12 बजे रात में मिली थी। मैं भोर में 4 बजे आ गया था। घटना के समय मैं नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी थी। मैं अकबरपुर नहीं आया था। मैं पोस्टमार्टम हाउस भी नहीं गया था। मैं अपने दामाद मृतक उमेश के घर पर था तथा दाह संस्कार में गया था। यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने मेरे सामने कोई बरामदगी नहीं की थी। यह भी कहना गलत है कि दरोगा जी ने हमसे सादे कागज पर दस्तखत करवाया था। अमर बहादुर के घर में रात में तलाशी नहीं हुई, बल्कि सुबह हुई थी। तलाशी 6 बजे सुबह हुई थी। दरोगा जी आए थे, मैं वहां था। अमर बहादुर अभियुक्त नहीं थे। अमर बहादुर की गैर हाजिरी में बन्दूक उनके घर में से बरामद की गयी थी। बंदूक एक नाली थी या दो नाली थी, ध्यान नहीं दिया था। बंदूक बरामदगी के बाद वहीं पर मेरा हस्ताक्षर दरोगा जी करवाए थे। यह कहना गलत है कि बरामदगी मेरे सामने न हुई हो, फरजी दिखाई गई है।"

18. पी. डब्लू.-4 अशोक कुमार ने दिनांक 22.10.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "मेरे गांव के उमेश प्रजापति की मृत्यु आज से लगभग ढाई वर्ष पहले गोली लगने से हुई थी। जिनके शव का पंचायतनामा जिला अस्पताल, अम्बेडकर नगर में दरोगा जी ने तैयार किया था। पंचायत नामा तैयार करके हमें व गवाहों को सुनाने के बाद

उस पर हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगवाए थे। संलग्न पत्रावली कागज सं०-6अ/2 ता 6 अ/3 है, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

19. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्लू-4 अशोक कुमार ने दिनांक 22.10.2018 को सशपथ कथन किया है कि "मैं उमेश प्रजापति का सगा भाई हूँ। मैंने गोली लगते नहीं देखा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। पंचायतनामा के समय मेरा बयान लिये थे। उसके बाद दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। दरोगा जी ने हमें पढ़कर नहीं सुनाया था। हमसे केवल हमारी निशानी अंगूठा लगवा लिया था। यह कहना गलत है कि मैं भाई होने के नाते फर्जी गवाही दे रहा हूँ।"

20. पी. डब्लू-5 उ. नि. कन्हई लाल सरोज ने दिनांक 03.11.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 21.04.2016 को मैं थाना बेवाना, जिला अम्बेडकर नगर में काँ. मोहररि के पद पर कार्यरत था। उस दिन इस मुकदमे की वादिनी मुकदमा कंचन के लिखित तहरीर के आधार पर मु. अ. सं.-45/2016 धारा 302, 504, 506, 120बी भा. दं. सं. बनाम अमर बहादुर आदि की चिक अपनी देख रेख में सी. सी. टी. सी. एन. सुधाकर यादव से बोलकर कम्प्यूटर पर तैयार करवाया था, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, जो संलग्न पत्रावली कागज सं.-4अ/1 ता 4अ/2 है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। इस मुकदमे की कायमी मैंने उसी दिन नकल रपट नं.-5 समय 03:30 पर मैंने अपने हस्तलेख में तैयार किया था, जिसकी कार्बन प्रति संलग्न पत्रावली कागज सं०-7अ/6 है, जो मूल जी. डी. के समान्तर में तैयार की गई थी, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

21. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्लू-5 उ. नि. कन्हई लाल सरोज ने दिनांक 03.11.2018 को सशपथ कथन किया है कि "वादिनी कंचन मेरे पास 03:00 बजे रात आयी थी। उसके साथ दो आदमी और थे। कंचन की उम्र यानी वादिनी मुकदमा की उम्र नहीं बता सकता। कंचन ने घटना के विषय में नहीं बताया, केवल प्रार्थनापत्र दिया। मैंने स्वयं कम्प्यूटर पर नहीं लिखा था, अपने सहयोगी से बोलकर टाइप करवाया था। टाइप करवाने में हमें लगभग 15-20 मिनट का समय लगा था। इसकी जी. डी. मैंने अपने हाथ से लिखी है। एफ. आई. आर. टाइप करवाने के बाद मैंने जी. डी. लिखा था। मैंने एफ. आई. आर. व जी. डी. लिखने में एक ही समय लिखा है। जी. डी. व एफ. आई. आर. एक ही समय लिखने का

नियम है। मैंने स्पष्टीकरण नहीं लिखा है। नियम यह भी है कि एफ. आई. आर. की एक प्रति वादी को दी जाए तथा उस पर उसका हस्ताक्षर भी कराया जाए। पत्रावली में संलग्न कम्प्यूटर कॉपी पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने एफ. आई. आर. एन्टीटाइम में लिखा था।"

22. पी. डब्लू.-6 निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव ने दिनांक 13.06.2019 को अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 20.04.2016 को मैं थाना बेवाना जनपद अम्बेडकर नगर ने थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। प्रकरण की वादिनी कंचन की तहरीर बावत दर्ज करने प्राथमिकी मुझे दिया था। मैंने एच. सी. पी. कन्हई लाल सरोज को दिया था और मुकदमा दर्ज करने के लिए मौखिक आदेश दिया था। जिस पर मुकदमा कायम हुआ और उसकी विवेचना स्वयं मैंने अपने पास लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल रपट अंकित करने के बाद एफ. आई. आर. लेखक कन्हई लाल सरोज का बयान अंकित किया गया। उसके उपरान्त वादिनी मुकदमा का बयान अंकित किया व घटना स्थल पर पहुंचकर वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटना का निरीक्षण किया और मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी कागज सं०-5अ/1 शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-7 अंकित किया गया है। घटना स्थल पर मौजूद खून अलूदा गद्दे का टुकड़ा कब्जा पुलिस में लिया तथा फर्द कागज सं०-7अ/3 शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसे मैंने बोलकर एच. सी. पी. लहुरी प्रसाद से लिखाया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर पहले से प्रदर्शक-2 पड़ा है। उसके बाद आला कत्ल राइफल लाइसेंसी 315 बोर अभियुक्ता मीना कुमारी की निशानदेही पर उसके घर से तख्त पर गद्दे के नीचे से बरामद किया गया, जिसे मीना कुमारी ने निकालकर दिया। फर्द बरामदगी आलाकत्ल व गिरफ्तारी अभियुक्ता मीना कुमारी मौके पर हे. कां. लहुरी प्रसाद से बोलकर लिखाई गई तथा सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाए गए। आलाकत्ल लाइसेंसी राइफल का निरीक्षण किया गया, तो राइफल नंबर A.B.07.06558BK अंकित मिला, जिसमें छः अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर लगा मिला और चैम्बर खोलकर देखा गया, तो एक अद्द खोखा कारतूस 315 बोर फंसा मिला। फर्द बरामदगी 3अ/4 शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर पहले से प्रदर्शक-3 पड़ा है। मुल्जिमा मीना कुमारी को थाने लाकर उसका बयान अंकित किया गया। सी. डी. पर्चा सं.-1 दिनांक 21.04.2016 में उपरोक्त कार्यवाही की गई। सी. डी. पर्चा सं.-2 दिनांक 22.04.2016 में

गवाह रमेश का बयान अंकित किया गया। सी. डी. पर्चा सं.-3 दिनांक 24.04.2016 को किता कर अभियुक्त अमर बहादुर की तलाश की गई। सी. डी. पर्चा सं०-4 दिनांक 25.04.2016 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त अमर बहादुर की गिरफ्तारी व बयान अंकित किया गया। सी. डी. पर्चा सं.-5 दिनांक 27.04.2016 को किता किया गया, जिसमें पंचायत नामा व पी. एम. रिपोर्ट का अवलोकन कर नकल किया गया। सी. डी. पर्चा सं.-6 व 7 में अभियुक्त का रिमांड लिया गया। सी. डी. पर्चा सं.-8 व 8ए दिनांक 23.05.2016 को किता किया गया, जिसमें आलाकत्ल राइफल और खून अलूदा कपड़ा परीक्षण हेतु एफ. एस. एल. लखनऊ दाखिल किए जाने की कॉपी प्राप्ति का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात पंचायतनामा के गवाह उ.नि. जवाहिर सिंह, कां. पंकज कुमार का बयान अंकित किया गया। सी. डी. पर्चा सं.-9 दिनांक 30.05.2016 किता किया गया, जिसमें पंचायतनामा के गवाह राकेश व अशोक कुमार का बयान अंकित किया गया। दिनांक 06.06.2016 को सी. डी. पर्चा सं.-10 तैयार किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का रिमांड लिया गया। दिनांक 08.06.2016 को पंचायत नामा के गवाह रामजीत का बयान लिया। सी. डी. पर्चा सं.-13 दिनांक 20.06.2016 को किता किया, जिसमें पंचायतनामा के गवाह पतिराम का बयान अंकित किया गया। दिनांक 30.06.2016 को सी. डी. पर्चा सं.-14 किता किया गया, जिसमें बरामदगी आलाकतल स्थल का नक्शा नजरी तैयार कर संलग्न कर सी. डी. किया और फर्द गवाह राम नयन, हंसराज का बयान लेकर अंकित किया व गवाह पी. एम. कर्ता डा. उदयभान का बयान लेकर अंकित किया। सी. डी. पर्चा सं.-15 दिनांक 02.07.2016 को किता कर अभियुक्त का रिमांड लिया गया। सी. डी. पर्चा सं.-15 दिनांक 02.07.2016 को किता किया गया, जिसमें बयान गवाह आलाकत्ल बरामदगी फर्द गवाह एच. सी. रीना वर्मा का बयान लेकर अंकित किया। फर्द बरामदगी आलाकतल के गवाह हे. कां. इन्द्रासन यादव व हे. कां. लहुरी प्रसाद वर्मा व कां. धीरेन्द्र प्रसाद का बयान लेकर सी. डी. में अंकित किया। प्रकरण में नामजद अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना कुमार के विरुद्ध विवेचना से जुर्म साबित होने पर आरोप पत्र सं.-34/2016 दिनांक 06.07.2017 को प्रेषित किया। कागज सं०-3अ/1 ता 3अ/7 शामिल पत्रावली है, जो कम्प्यूटर से तैयार किया गया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, पर प्रदर्श क-8 अंकित किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित आलाकत्ल राइफल व पोस्टमार्टम पोटली का परीक्षण परिणाम एफ. एस. एल. रिपोर्ट लखनऊ से मेरी मौजूदगी में प्राप्त नहीं हुआ था, जिसे प्राप्त होने पर जरिये पूरक पर्चा प्रेषित किये जाने

का उल्लेख किया गया है। आज बयान के समय मेरे समक्ष बरामद आलाकत्ल राइफल, कारतूस व खून आलूद कपड़ा मौजूद नहीं है। इस मामले से सम्बन्धित आलाकत्ल राइफल आज समक्ष न्यायालय प्रस्तुत है, जिसे मैंने सील सर्व मोहर करके दाखिल किया था। सील खोलकर साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही राइफल है, जो मुल्जिम मीना ने बरामद कराया था। राइफल के साथ-साथ छह कारतूस जिन्दा भी बरामद हुए थे, वह भी आज न्यायालय के समक्ष हैं। यही कारतूस मैंने बरामद किया था, जिसे मैं पुष्ट करता हूँ। बरामद राइफल पर वस्तु प्रदर्श क-1 व कारतूस पर वस्तु प्रदर्श क-2 अंकित किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पोस्टमार्टम पोटली पर वस्तु प्रदर्श-3 अंकित गया। आलाकत्ल बरामदगी के समय मैंने मौके पर ही नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में बनाया था, जो पत्रावली पर कागज सं०-5अ/2 है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-9 अंकित किया गया। घटना स्थल से खून आलूद कपड़ा की फर्द मैंने मौके पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो कागज सं.-7अ/3 शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर पहले से प्रदर्श क-2 पड़ा है। मैंने मुल्जिमा मीना को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी का पूरा विवरण मैंने जी. डी. रपट नंबर 32 समय 19:30 बजे दिनांक 21.04.2016 को थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर में अंकित किया था, जो एक ही प्रक्रिया के साथ कार्बन लगाकर तैयार किया था। कार्बन प्रति कागज सं०-7अ/5 शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया।"

23. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्ल्यू.-6 निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव ने दिनांक 18.12.2021 को सशपथ कथन किया है कि "वादिनी में मुझे यह बयान दिया था कि अमर बहादुर व उसका एक साथी दोनो ने अपने अपने हाथों में लिये असलहे से उसके पति उमेश को फायर करके गोली मार दिया था। मैंने रमेश का बयान दिनांक 22.04.2016 को लिया था कि साक्षी ने गोली मारते देखने का साक्ष्य नहीं दिया था। इस साक्षी ने यह बयान दिया था कि जब वह पहुंचा, तो उसके पहले उमेश को गोली लग चुकी थी और वह तख्त पर गिरा पड़ा था। रमेश ने यह भी बयान दिया था कि अमर बहादुर बन्दूक लिए खड़ा था। मुझे वादिनी मुकदमा कंचन की देह व कपड़ों पर खून नहीं मिला था। यह कहना गलत है कि बरामदगी का फर्जी साक्ष्य निर्मित किया गया है। यह भी कहना गलत है कि मैंने सही तफ्तीस न की हो और गलत आरोप पत्र को प्रेषित किया हो। वादी के द्वारा प्रार्थनापत्र देने पर मुझे

तभी सूचना मिली थी। किसी मोबाइल द्वारा मुझे सूचना इस घटना के बावत नहीं मिली। मैंने दौरान विवेचना मृतक उमेश के परिवारीजन के किसी का मोबाइल नम्बर नहीं लिया था और न ही कोई मोबाइल बरामद किया था। जिस तख्त पर मृतक की लाश मिली थी, उसकी साइज 2.5X6 फीट थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है। जहां से फायरिंग करते हुये वादिनी ने देखा था, उसकी दूरी तख्त से पांच कदम है। दोनों चश्मदीद गवाह घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे। इसलिए मोबाइल से लोकेशन नहीं ली। मुझे सी. यू. जी. नंबर पर कोई सूचना घटना के बारे में नहीं मिली थी। एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद मैं घटना स्थल पर गया था। यह कहना गलत है कि मैंने गांव के प्रधान के मोबाइल नम्बर 9792630571 पर सूचना पाने के बाद ही लगभग 11:30 बजे रात में घटना स्थल पर पहुंच गया था। फर्द बरामदगी में लिखे गए समस्त अवयव सत्य हैं। फर्द की प्रति अभियुक्ता मीना को बरामदगी स्थल पर दी गई थी। जी. डी. नम्बर 32 समय 19.30 दिनांकित 21.04.2016 में लिखे गए समस्त अवयव सत्य हैं। मैंने पहले पर्चे में रमेश का बयान अंकित नहीं किया, जबकि यह चश्मदीद साक्षी है। वादिनी मुकदमा व उसके परिवारीजन के लोगो का मोबाइल की कॉल डिटेल् मैंने दौरान विवेचना प्राप्त नहीं किया।

प्रश्न- मृतक की घटना से सम्बन्धित गवाहान व चिकित्सार्थ ले जाने या बीच बचाव करने के बावत कपड़ों पर किसी किस्म का खून उपलब्ध न होने की अवस्था में आपने अन्य स्रोतो से यथा सी. डी. आर. उपस्थिति का विरोधाभास या संपोषण हेतु कोई प्रयास किया या नहीं?

उत्तर- गवाह द्वारा घटना के समय अपनी मौजूदगी के सम्बन्ध में बयान दिया गया और एफ. आई. आर. का समर्थन किया गया था। गवाहों की बातों पर विश्वास किया था। अस्पताल ले जाते समय गवाहों के कपड़ों पर खून लगा था या नहीं, इस सम्बन्ध में मैंने पूछताछ नहीं की। गवाहों ने कुछ भी नहीं बताया। मृतक रोजी-रोटी के लिये चक्की चलाता था। चक्की किससे चलती थी, मैंने इसकी जानकारी नहीं किया था, इसी कारण मैंने विद्युत वितरण खण्ड से लागबुक का मुआयना नहीं किया था। घटना तख्त पर हुई थी, इसलिए मैंने खून से सनी मिट्टी बरामद नहीं की थी। जमीन पर खून के निशान नहीं थे। आलाकतल बिस्तर के नीचे से अभियुक्ता मीना ने स्वयं निकाल कर दिया था। आलाकतल दिन में दिया था। अमर बहादुर को शिवरानाली के पास मैंने गिरफ्तार किया था। दौरान विवेचना मैंने अज्ञात में दर्ज एफ. आई. आर. की थी। मुल्जिम को काफी तलाश की गई, पता नहीं चल सका। यह कहना गलत है कि मैं पहले से पक्षपाती था। संसाधनों से सही विवेचना की जा सकती थी, लेकिन मैंने सहारा

नहीं लिया। यह भी कहना गलत है कि शादी में मृतक के परिवारजन गए हुए थे। घटना किसी ने देखी नहीं थी, मैंने जानबूझकर उनको चक्षुदर्शी साक्षी बना दिया। यह कहना गलत है कि वादिनी मुकदमा द्वारा घटना के काफी देर बाद जानकारी होने पर मीना को मोबाइल दिया था और कहा कि जो लोग शादी में गये हैं, उनको बुलाओ। मीना घबराहट में होने के कारण फोन न कर सकी, दूसरों से करवायी। मुझे जानकारी नहीं है कि रमेश व उमेश दोनो भाईयो में दो माह पूर्व झगड़ा हुआ था, जिससे रमेश की पत्नी के सिर में गंभीर चोट आयी थी, जिसके कारण रमेश ने उमेश को मारपीट दिया था। यह कहना गलत है कि मुझको काफी रुपया मिल गया, जिससे मैंने वास्तविक अपराधी को बचाकर अमर बहादुर व मीना को फंसा दिया। यह भी कहना गलत है कि मुझको सी. यू. जी. फोन पर मृत्यु की सूचना दी गई थी, जिसको मैंने अपनी विवेचना में कहीं दिखाया नहीं है।"

24. पी. डब्लू.-7 डा. उदयभान ने दिनांक 06.05.2022 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "मैं दिनांक 21.04.2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवाना, जिला अम्बेडकर नगर में कार्यरत था। इस मामले का मृतक उमेश पुत्र जयनरायन उम्र लगभग 30 साल निवासी बहलोलपुर, थाना बेवाना जिला अम्बेडकर नगर के शव को थाना प्रभारी कोतवाली अकबरपुर कां. 102460317 पंकज सिंह के द्वारा सफेद सूती कपड़े में सील सर्व मुहर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। दिनांक 21.04.2016 को मेरी पोस्टमार्टम हेतु ड्यूटी थी। शव का पोस्टमार्टम 3.35 पी. एम. पर प्रारम्भ किया था और उसी दिन 4.30 पी. एम. पर समाप्त किया था। मृतक का शरीर औसत कद का था और मांसल युक्त था। दोनों आंखें बन्द थीं, मुँह खुला था। पूरे शरीर में अकड़न मौजूद थी, दांत ऊपर नीचे जबड़े में 16/16 थे।

मृत्यु पूर्व चोटें- पेट के ऊपरी भाग में बायें निप्पल से 12 से.मी. नीचे बायीं तरफ इन्ट्री वुंड 3.2 से.मी. x 1.5 से.मी. आकार में किनारे अन्दर की तरफ **टैटुइंग मौजूद थी**, पेट के नीचले भाग में बायीं तरफ चमड़ी व मांस पेशियों के नीचे बुलेट पायी गयी थी, जो दो भाग में थे, लिफाफे में बन्द कर सील करके सम्बन्धित कांस्टेबिल को दिया था।

आन्तरिक परीक्षण- दोनो फेफड़े पेल थे, हृदय खाली था, आमाशय में अधपचा भोजन तथा पेट की झिल्ली में भी पाया गया। पेट फटा था, पेट की झिल्ली व आंत फटी थी, तिल्ली व बायीं किडनी फटी थी। गाल ब्लेडर आंशिक रूप से भरा था, आमाशय खाली था, जननांग प्रोस्टेटियल डिस्चार्ज मौजूद था। रीढ़ का छल्ला नहीं खोला गया था, शेष आन्तरिक अंग

सामान्य था, मस्तिष्क पेल था।

25. उक्त चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय पोस्टमार्टम के समय से एक दिन के अन्दर की हो सकती है। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी अग्रेयास्त्र की चोट के कारण आन्तरिक रक्त श्राव व शाक के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम के समय मृतक के शव पर जो कपड़े पाए गए थे। उसका पूरा विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित किया गया है। उनकी पोटली बनाकर कांस्टेबल को दी गई थी। पोटली में नीली बनियान एक, कत्थई अण्डरवियर, बायें हाथ के अनामिका में लोहे का एक छल्ला, दायें हाथ की अनामिका में दो लोहे का छल्ले एवं नगदार अंगूठी कुल 6 अदद थे। शव के साथ सम्बन्धित कांस्टेबल द्वारा कुल 9 प्रपत्र लाये गये थे, जिसे मैंने ठीक ढंग से हस्ताक्षरित व मुद्रित करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे मैंने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, के साथ सम्बन्धित कांस्टेबल को एस. पी. अम्बेडकर नगर को देने हेतु दिया था। असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 6अ/10 शामिल पत्रावली मेरे सामने है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-11 डाला गया। पोस्टमार्टम के समय शव के साथ अन्य पुलिस प्रपत्र कागज संख्या 6अ/2 ता 6अ/9 लाया गया था, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, सभी की मैं पुष्टि करता हूँ। कागज संख्या 6अ/2 ता 6अ/3 पंचायतनामा है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर पहले से प्रदर्श क-4 पड़ा है। शेष पुलिस प्रपत्र कागज संख्या 6अ/4 ता 6अ/9 पर क्रमशः प्रदर्श क-12 से प्रदर्श क-17 डाला गया, सभी की मैं पुष्टि करता हूँ।"

26. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर पी. डब्लू.-7 डा. उदयभान ने दिनांक 06.05.2022 को सशपथ कथन किया है कि "शव पर जो बनियान पायी गयी थी, उस पर कोई जले का निशान था या नहीं या छिद्र था या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। जहाँ पर चोट लगी थी, उसके आसपास के बाल झुलसे थे या नहीं, मैं नहीं बता सकता। घाव के आस पास टैटुइंग मौजूद थी। इसके अलावा अन्य कोई अवयव, किसी चीज के अवयव मौजूद नहीं थे। घटना कारित होने के पहले लगभग 4 से 6 घंटे या उससे ज्यादा पहले खाना खाया होगा। चोट कितनी दूर से कारित की गई थी, मैं यह नहीं बता सकता। पोस्टमार्टम के समय शव में पूर्ण रूप से अकड़न मौजूद थी। पोस्टमार्टम के समय मेरे पास चिकित्सीय अनुभव 6 वर्ष का था। यह कहना गलत है कि मैं अभियोजन से मिल गया हूँ और चोट मृतक को एक मीटर से कम दूरी से मारी गयी है, मैं यह जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ।"

27. **डी. डब्लू-1 अनिल कुमार ने दिनांक 01.10.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** "वादिनी के पति मृतक उमेश व अमर बहादुर, मीना दोनो मेरे ही गांव के हैं, दोनों परिवार में मेरा आना जाना व खाना पीना होता चला आ रहा है और मृतक उमेश, अमर बहादुर के चचेरे भाई हैं। दोनों का घर आमने-सामने है। दोनो परिवार में हमेशा तालमेल व खाना पीना होता था और दोनों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद कभी नहीं रहा। बल्कि अमर बहादुर की पत्नी मीना सन् 2016 में बी. डी. सी. का चुनाव लड़ी थीं, उक्त चुनाव में मृतक उमेश व उसका परिवार मीना का सहयोग किया था और मीना के पक्ष में वोट किया था, जिसमें **अमर बहादुर की पत्नी बी. डी. सी. का चुनाव जीती थी**, तभी से गांव के कुछ लोगों ने अमर बहादुर व मृतक उमेश के परिवार वालों से रंजिश करने लगे और **चुनाव के कुछ दिन बाद उमेश के साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटना कारित कर दी गई और अमर बहादुर व उनकी पत्नी मीना के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया।** जबकि सही यह है कि दिनांक 20-04-2016 को अमरबहादुर से शाम को मेरी मुलाकात गांव में हुई थी तो अमर बहादुर ने बताया कि मामा के यहां निमंत्रण में जा रहे हैं उसके बाद अमर बहादुर मामा के यहां निमंत्रण में चले गए और अमर बहादुर का किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद नहीं था और न ही इस मुकदमे के अलावा अमर बहादुर व मीना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है और अमर बहादुर की लड़की के भगाने में न ही मृतक उमेश व उसके परिवार की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए अमरबहादुर व मीना द्वारा मृतक व मृतक के परिवार के विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई।"

28. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर डी. डब्लू-1 अनिल कुमार ने दिनांक 19.10.2024 को सशपथ कथन किया है कि** "मैं अमर बहादुर व उनकी पत्नी मीना की तरफ से गवाही देने आया हूँ। मैं खेती करता हूँ, मेरा घर अमर बहादुर के गांव में है, उनके घर से थोड़ी दूरी पर है। मुल्जिमा मीना बी. डी. सी. का चुनाव लड़ी थी, चुनाव दिनांक 20.07.2016 को लड़ी थी, चुनाव में भी उसके साथ था। **उस चुनाव में मीना 19 वोट से हार गयी थी।** उसी दिन बी. डी. सी., ग्राम पंचायत व जिला पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, केवल बी. डी. सी. का चुनाव हुआ था। मैं मुल्जिमा मीना का वोटर व सपोर्टर भी हूँ। उनके सुख-दुःख में काम आता हूँ। अमर बहादुर की दो लड़कियां हैं। मुझे अमर बहादुर के बच्चों का नाम व उम्र नहीं मालुम है। उनकी शादी अभी नहीं हुई है। बड़ी लड़की शादी के लायक उम्र हो गई है। **मुझे जानकारी नहीं है कि इनकी बड़ी लड़की कहीं किसी के साथ चली गई थी या नहीं।** कभी अमर बहादुर या उनकी पत्नी ने मुझे यह बात नहीं बताई थी। अमर बहादुर के

पास लाइसेंसी बन्दूक थी। घटना के समय थी या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। घटना के बाद से इनकी बन्दूक नहीं है। घटना के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। दूसरे दिन गांव में चर्चा से सुना था। मैं घटना स्थल पर नहीं गया था। जो लोगों ने बताया, वही जानता हूँ और वही अदालत में बताया है। घटना के दिन मैं घर पर था। उन लोगों को पुलिस ले गई थी। यह सही है कि रात की घटना है। उमेश के दाह संस्कार में मैं शामिल नहीं हुआ था, उस दिन मैं बाहर चला गया था। घटना के दूसरे दिन उमेश का दाह संस्कार पोस्टमार्टम के बाद हुआ था। मृतक उमेश व अमर बहादुर सगे पट्टीदार थे। मृतक उमेश आटा चक्की व तेल पेरने की मशीन चलाता था। चक्की अमर बहादुर के घर से सटी हुई थी। मैं प्रदीप नाम के लड़के को नहीं जानता हूँ। मेरा उमेश से भी अच्छा सम्बन्ध था। आज भी उनके परिवार से अच्छा सम्बन्ध है। घटना के बाद से मैं उमेश के घर नहीं गया हूँ। यह कहना गलत है कि अमर बहादुर से मेरे अच्छे सम्बन्ध हैं, काफी घनिष्ठता है, इसलिए उनको व उनकी पत्नी को बचाने के लिए गवाही देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। पुलिस ने मेरा कभी कोई बयान नहीं लिया था। मैंने भी पुलिस को सही बात बताने की कोशिश नहीं की थी।"

29. डी. डब्लू.-2 संजय ने दिनांक 21.12.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "मैं मृतक व उमेश व मुल्जिम अमर बहादुर को भलीभांति जानता-पहचानता हूँ। मृतक उमेश व अमर बहादुर का आपस में कभी कोई विवाद नहीं रहा। दिनांक 20.04.2016 को मैं पप्पू पुत्र राम सूरत की लड़की की शादी में गया था। जहां पर मुझे मृतक उमेश की पत्नी कंचन व उनके भाई रमेश व राकेश मिले, पूछने पर बताया कि पप्पू के यहां राकेश की रिश्तेदारी है। हम लोग रात वहां करीब 10 बजे तक जयमाल में साथ थे। उसके बाद मैं वहां से वापस अपने घर चला आया। उमेश की पत्नी से मैंने पूछा अमर बहादुर कहां है तो उन्होंने बताया कि उनके मामा के यहाँ निमन्त्रण है, अपनी पत्नी के साथ वहां गये हैं, इसलिए नहीं आये। मृतक उमेश व मुल्जिम अमर बहादुर के बीच कोई रंजिश अमर बहादुर की लड़की को लेकर नहीं थी। अगर होती तो अमर बहादुर अपनी लड़की के भागने में मृतक उमेश व उनके परिवार की भूमिका को एफ. आई. आर. में जाहिर किये होते। अमर बहादुर ने अपनी लड़की के गायब होने में सही अभियुक्त प्रदीप के खिलाफ ही एफ. आई. आर. दर्ज करवाई थी। मृतक उमेश व उसके परिवार के खिलाफ एफ. आई. आर. नहीं दर्ज करवाई थी।"

30. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर डी. डब्लू-2 संजय ने दिनांक 24.05.2025 को सशपथ कथन किया है कि "घटना दिनांक 20.04.2016 की है, समय कितना बजा था, याद नहीं है। उस दिन मैं अपने घर पर नहीं था। मैं उस दिन मृतक के भाई रमेश के रिश्तेदारी नसीरपुर भुवरा में शादी में गया था। मैं शाम 7.30 बजे पहुँचा था। रात 1.00 बजे जयमाल के बाद वापस आया। मैं अकेले गया था, अकेले वापस आया था। मैं नसीरपुर भुवरा में पप्पू पुत्र राम सूरत के घर गया था। उनके कौन-कौन रिश्तेदार वहाँ से आये थे, मुझे जानकारी नहीं है। पप्पू के यहाँ मेरे गांव से कंचन, राकेश व रमेश गये थे। ये लोग कब वापस आये, मुझे जानकारी नहीं है। ये लोग मुझसे पहले वहाँ गए थे। उमेश घर पर रहकर चक्की चलाते थे। उमेश मृतक व मुल्जिमान मेरे ही गांव के थे। दोनों परिवार से मेरा अच्छा सम्बन्ध है। मैं प्रदीप को जानता हूँ, इनके पिता का नाम ध्यान नहीं है। मेरे ही गांवसभा बहलोलपुर के पुरवा बनवा के निवासी थे। प्रदीप की मृत्यु आज से करीब 5 साल पहले हो चुकी है। प्रदीप मुलजिम अमर बहादुर की लड़की को लेकर घटना से पहले भाग गया था। मेरे पुरवे से प्रदीप के घर के पुरवा की दूरी लगभग पांच से सात सौ मीटर होगी। इस मामले में इस घटना के बारे में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। घटना के समय मैं था या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं स्वयं पुलिस को बताता। 2016 का बी. डी. सी. का चुनाव मेरे क्षेत्र से अमर बहादुर व अकडू लड़े थे, जिसमें अमर बहादुर जीत गये थे। हम लोग अमर बहादुर का सपोर्ट किये थे। अमर बहादुर के पास लाइसेंस बन्दूक थी। मैंने अमर बहादुर की लड़की को भागते हुए नहीं देखा था, केवल लोगों की चर्चा से सुना था। प्रदीप के साथ लड़की के पकड़े जाने पर मुझे जानकारी हुई। मैं जानकारी होने पर सुबह घटना स्थल पर नहीं गया था। उस समय मेरे गांव के प्रधान मंसूर अहमद थे। मंसूर अहमद के पहले मेरे चाचा शिव प्रसाद यादव प्रधान थे। मेरे घर से घटना स्थल लगभग साढ़े तीन सौ मीटर दूरी पर है। मृतक उमेश व उसका परिवार चुनाव में मेरे परिवार के साथ रहता था। यह सही है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अमर बहादुर के कहने पर बयान देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान मेरे समर्थक हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए उनके पक्ष में झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मृतक उमेश व उसका परिवार प्रधानी के चुनाव में मेरा सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए मुल्जिमान के पक्ष में गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि मैंने स्वयं अपनी आंख से घटना नहीं देखी है, कब कौन घटना कारित किया, मुझे कोई जानकारी नहीं है।"

31. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

32. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना कुमारी द्वारा दिनांक 20.04.2016 को समय लगभग 22.30 बजे वादिनी मुकदमा कंचन के पति उमेश कुमार की अग्रेयास्त्र से गोली मारकर हत्या कारित करना पूर्णतः साबित होता है एवं अभियुक्तगण उनके विरुद्ध आरोपित आरोप के सम्बन्ध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

33. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पोस्टमार्टम के उपरान्त सुविचारित तरीके से अभियुक्तगण को नामजद करते हुये पंजीकृत करायी गयी है। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण के पास घटना का कोई हेतुक होना साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्णतः संदिग्ध है एवं अभियुक्तगण उसके विरुद्ध आरोपित आरोप के सम्बन्ध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

34. अभियुक्तगण अमर बहादुर व मीना कुमारी के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 20.04.2016 को समय लगभग 22.30 बजे रात बहद स्थान ग्राम बहलोलपुर, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकर नगर में उन्होंने वादिनी मुकदमा के पति उमेश को अग्रेयास्त्र से गोली मारकर हत्या कर दी।

35. उक्त आरोपित अभियोग को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

36. अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये तथ्य के साक्षीगण पी. डब्लू.-1 वादिनी मुकदमा कंचन, पी. डब्लू.-2 रमेश कुमार, पी. डब्लू.-3 राम नयन, पी. डब्लू.-4 अशोक कुमार एवं औपचारिक साक्षीगण पी. डब्लू.-5 उ. नि. कन्हई लाल सरोज, पी. डब्लू.-6 निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव, पी. डब्लू.-7 डा. उदयभान को परीक्षित कराया गया है।

37. निर्धारण के बिन्दु

दं.प्र.सं. की धारा 354(1)(b) के अनुरूप, निम्न बिन्दु निर्धारण हेतु हैं:

1. क्या की मृत्यु प्रकृति से “हिंसात्मक/हत्या-जन्य (homicidal)” है?
2. क्या दिनांक 20.04.2016 की घटना में अमर बहादुर ने अग्रेयास्त्र से फायर कर मृतक की हत्या की?

3. क्या मीना ने अमर बहादुर के साथ साझा आशय/सामान्य अभिप्राय (common intention) में कार्य किया, जिससे धारा 34 भा.दं.सं. के साथ धारा 302 के अंतर्गत उसकी दायित्व-स्थापना हो?
4. क्या अमर बहादुर का आचरण/कृत्य लाइसेंस/नियम के प्रतिकूल होने से धारा 30 आयुध अधिनियम के तत्वों को संतुष्ट करता है?
5. यदि दोष सिद्ध होता है, तो कौन-सा दण्ड न्यायोचित है?

38. साक्ष्य का मूल्यांकन

मृत्यु का स्वरूप और चिकित्सकीय साक्ष्य

पी. डब्लू.-7 के अनुसार शव-परीक्षा में अग्रेयास्त्र-जन्य प्रवेश घाव (tattooing सहित) वर्णित है; आंतरिक परीक्षण में प्रमुख अंगों/झिल्लियों के फटने व रक्तस्राव का वर्णन है और मृत्यु का कारण “अग्रेयास्त्र चोट से आंतरिक रक्तस्राव व शॉक” बताया गया। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से यह निष्कर्ष निर्विवाद रूप से निकलता है कि मृत्यु स्वाभाविक/दुर्घटनावश नहीं, बल्कि हिंसात्मक है। उक्त चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन कथन (रात्रि में फायरिंग के परिणामस्वरूप मृत्यु) के साथ संगत है और अभियोजन के “हत्या-जन्य मृत्यु” के प्रथम आधार-स्तंभ को पुष्ट करता है।

39. प्रत्यक्षदर्शी/परिस्थितिजन्य साक्ष्य—पी. डब्लू.-1 और पी. डब्लू.-2 की विश्वसनीयता

पी. डब्लू.-1 मृतक की पत्नी एवं घटना-स्थल पर स्वाभाविक रूप से उपस्थित व्यक्ति है (घर के सामने/छप्पर के नीचे पति के साथ होना)। उसने अभियुक्तों की उपस्थिति, विवाद का कारण, मीना का उकसाना तथा तत्पश्चात फायरिंग और धमकी की बात कही। जिरह में उसके बयान में कुछ विवरणात्मक अंतर/स्पष्टीकरण (जैसे वाहन/समय/लोगों का नाम न जानना) दिखाई देता है; परन्तु “घटना का मूल ढांचा”—अमर बहादुर का आना, विवाद, मीना का उकसाना, और तत्पश्चात फायरिंग—स्थिर रहता है। यह स्थापित सिद्धान्त है कि “संबंधित/परिजन साक्षी” का साक्ष्य केवल रिश्तेदारी के आधार पर त्याज्य नहीं; उसे सावधानीपूर्वक परखा जाता है, और यदि वह स्वाभाविक/संगत/विश्वसनीय हो तो उस पर भरोसा किया जा सकता है ([BABAN SHANKAR DAPHAL & ORS. VERSUS THE STATE OF MAHARASHTRA 2025 INSC 97](#))।

40. पी. डब्लू.-2 ने कहा कि गोली/गाली की आवाज सुनकर वह बाहर आया और उसने

अमर बहादुर को बंदूक लिए तथा साथ एक अन्य व्यक्ति को देखा; उसने यह भी कहा कि मृतक ने बताया कि उसे अमर बहादुर ने मारा। जिरह में पी. डब्लू-2 के कथनों में कुछ विरोधाभासी अंश आए (कभी मीना के मौके पर होने/न होने का उल्लेख, कभी स्वयं घर पर/शादी में होने जैसे कथन), तथा विवेचक ने भी यह इंगित किया कि पी. डब्लू-2 ने विवेचना में “गोली मारते देखने” का कथन नहीं दिया था।

41. न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि ऐसे विरोधाभासों का मूल्यांकन करते समय देखा जाए कि क्या वे “मामले के मूल/जड़” पर प्रहार करते हैं या मात्र गौण/विवरणात्मक हैं। यहाँ पी. डब्लू-2 का मुख्य योगदान दो भागों में है—(i) घटना के तत्काल बाद अमर बहादुर की हथियार सहित उपस्थिति/धमकी, और (ii) मृतक का मौखिक कथन (नाम लेकर) कि हमलावर अमर बहादुर है। पहले भाग पर पी. डब्लू-2 के कथन तुलनात्मक रूप से स्थिर हैं; दूसरे भाग की विधिक स्वीकार्यता धारा 32(1) साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में परखी जाती है।

42. मौखिक “मरनासन्न कथन” (Oral Dying Declaration) का विधिक मूल्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार मृत्यु का कारण/मृत्यु-परिणामी लेनदेन की परिस्थितियों से संबंधित मृत व्यक्ति के कथन (लिखित या मौखिक) प्रासंगिक हैं; और यह भी स्पष्ट है कि ऐसे कथन मृत्यु की आशंका/अपेक्षा में ही किए जाएँ, यह आवश्यक नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था [Laxman vs State Of Maharashtra Appeal \(crl.\) 608 of 2001](#) में स्पष्ट किया है कि मरनासन्न कथन मौखिक भी हो सकता है; निर्णायक कसौटी यह है कि कथन स्वैच्छिक, सत्य प्रतीत होने वाला, और बताने वाले की मानसिक/शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि वह पहचान/उच्चारण करने में सक्षम हो; डॉक्टर का प्रमाण-पत्र एक “सावधानी का नियम” है, कठोर अनिवार्यता नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था [Smt. Paniben vs State Of Gujarat on 13 March, 1992: AIR 1992 SUPREME COURT 1817](#) में यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि मरनासन्न कथन विश्वसनीय हो, तो वह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार भी बन सकता है; परन्तु न्यायालय को सतर्क रहकर यह देखना होता है कि कथन कल्पना/ट्यूशन/प्रेरणा से दूषित न हो।

43. प्रस्तुत मामले में पी. डब्लू-2 का कथन कि मृतक ने नाम लेकर “अमर बहादुर ने मारा” कहा—घटना के अत्यंत निकट समय में किया गया कथन बताया गया है। चिकित्सकीय

साक्ष्य से यह भी निकलता है कि चोट अग्रेयास्त्र से है और मृत्यु का कारण वही है; अतः कथन मृत्यु-परिणामी से प्रत्यक्षतः जुड़ा है। इन परिस्थितियों में, यद्यपि यह कथन मजिस्ट्रेट/डॉक्टर द्वारा लिखित रूप में दर्ज मरनासन्न कथन जैसा “सर्वोत्तम रूप” नहीं है, फिर भी यह धारा 32(1) साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य एवं परखने योग्य है।

44. प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का प्रभाव

रक्षा का एक तर्क यह है कि एफ. आई. आर. “सोच-विचार/पोस्टमार्टम के बाद” लिखी गई। अभिलेखीय स्थिति यह दर्शाती है कि घटना 20.04.2016 की रात्रि 10:30 बजे की बताई गई और रिपोर्ट 21.04.2016 को लगभग 03:30 बजे दर्ज हुई। अभियोजन कथन के अनुसार रात्रि में साधन तलाशकर घायल को अस्पताल ले जाया गया और फिर सूचना दी गई। [State Of Himachal Pradesh vs Gian Chand on 1 May, 2001: AIR 2001 SUPREME COURT 2075](#) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब मात्र से अभियोजन स्वतः असत्य नहीं हो जाता; विलम्ब न्यायालय को सतर्क करता है कि क्या स्पष्टीकरण है और क्या वह संतोषजनक है। यदि विलम्ब अस्पष्ट/अस्पष्टीकृत हो और उससे कथन में गढ़ंत/अलंकरण की संभावना बढ़े, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। यहाँ घटना-समय रात्रिकाल का है; घायल को अस्पताल ले जाने/उपचार व साधन व्यवस्था जैसी मानवीय/स्वाभाविक परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। अतः यह विलम्ब “अत्यधिक/अप्राकृतिक” नहीं माना जाता और एफ. आई. आर. को केवल इस आधार पर संदेहास्पद मानकर त्याज्य नहीं किया जा सकता।

45. बरामदगी/आलाकत्ल—समर्थनकारी परिस्थिति

पी. डब्लू.-6 ने विवेचना के दौरान मीना की निशानदेही पर उसके घर से लाइसेंसी राइफल 315 बोर की बरामदगी, कारतूस/खोखा मिलने तथा बरामदगी मेमो तैयार होने का विवरण दिया। यह बरामदगी अभियोजन के “अग्रेयास्त्र प्रयोग” के कथन को समर्थन देती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दी गई ऐसी सूचना का वह अंश, जो “खोजे गए तथ्य से विशिष्ट रूप से संबंधित” हो, प्रामाण्य हो सकता है। यद्यपि बरामदगी साक्ष्य सामान्यतः “समर्थनकारी/कोरोबोरेटिव” प्रकृति का होता है, परन्तु जहाँ प्रत्यक्षदर्शी/चिकित्सकीय साक्ष्य/फॉरेंसिक साक्ष्य के साथ यह जुड़ता है, वहाँ यह अभियोजन संस्करण के पक्ष में एक अतिरिक्त कड़ी बनता है ([State Of U. P vs Deoman Upadhyaya on 6 May, 1960: 1960 AIR 1125](#))। प्रस्तुत प्रकरण में एफ एस एल

रिपोर्ट प्रदर्श क-18 में 315 बोर राइफल का चलना पाया गया है तथा बरामद राइफल में पाया गया खोखा बरामद राइफल से चलना पाया गया है। मैंने मृतक के शरीर से पाई गई बुलेट व कापर बुलेट जैकिट को देखा है। यह भी 315 बोर कि बुलेट प्रतीत होती है। हालांकि बुलेट के विकृत हो जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बरामद राइफल से यह बुलेट चली है अन्यथा यह स्पष्ट प्रमाण होता।

46. साझा आशय (Section 34 IPC) और मीना की दायित्व-स्थापना

धारा 34 भा.दं.सं. के अनुसार जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा “सभी के साझा आशय” में किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए ऐसे उत्तरदायी होता है जैसे उसने वह कृत्य अकेले किया हो। साझा आशय का अर्थ एक “पूर्व-समन्वित/पूर्व-नियत योजना” से है; तथापि यह भी मान्य है कि कई मामलों में साझा आशय घटना के दौरान भी विकसित हो सकता है, और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अलग-अलग “ओवर्ट एक्ट” सिद्ध होना आवश्यक नहीं, बशर्ते परिस्थितियों से साझा आशय व सहभागिता/भागीदारी (उकसाने सहित) का निष्कर्ष निकलता हो (संदर्भ: [PANDURANG, TUKIA AND BHILLIA Vs THE STATE OF HYDERABAD: 1955 AIR 216](#))।

47. इस मामले में अभियोजन का विशिष्ट आरोप यह है कि मीना ने मौके पर आकर मृतक को “जिन्दा न छोड़ने” हेतु उकसाया; उसके तुरंत बाद फायरिंग हुई। यदि यह कथन विश्वास योग्य ठहरता है, तो यह मात्र “उपस्थिति” नहीं बल्कि हत्या के लिए प्रेरणात्मक सहभागिता है, जिससे साझा आशय का अनुमान न्यायोचित हो जाता है ([Suresh And Anr vs State Of U.P on 2 March, 2001: AIR 2001 SUPREME COURT 1344](#))।

48. प्रतिरक्षा साक्ष्य का मूल्यांकन

डी. डब्लू-1 एवं डी. डब्लू-2 द्वारा मुख्यतः यह कहा गया कि अभियुक्तों का मृतक से विवाद नहीं था; मीना चुनाव (बी. डी. सी.) आदि कारणों से झूठा फँसाया गया; तथा घटना समय अभियुक्त कहीं और “निमंत्रण” में हो सकते थे। जिरह में इन साक्षियों ने यह स्वीकार किया/परिलक्षित हुआ कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं; उनकी जानकारी “चर्चा/सुनी-सुनाई” या अभियुक्तों के कहने पर आधारित है, तथा उनके कथनों में आंतरिक असंगतियां भी हैं (जैसे चुनाव जीत/हार संबंधी विवरण)। ऐसी स्थिति में, प्रतिरक्षा की ओर से प्रस्तुत “अलिबाई/अनुपस्थिति” का दावा दस्तावेजी/विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता; और अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी-समर्थित ढांचे को ध्वस्त करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

49. निष्कर्ष एवं दोषसिद्धि

बिन्दुवार निष्कर्ष

बिन्दु 1 — न्यायालय का निष्कर्ष है कि की मृत्यु अग्रेयास्त्र चोट से हुई हिंसात्मक/हत्या-जन्य मृत्यु है।

बिन्दु 2 — पी. डब्लू.-1 की प्रत्यक्षदर्शी गवाही, पी. डब्लू.-2 द्वारा तत्काल बाद अभियुक्त की हथियार सहित मौजूदगी/धमकी तथा मृतक का नामोच्चारित कथन, और चिकित्सकीय साक्ष्य के संयुक्त मूल्यांकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अमर बहादुर की संलिप्तता संदेह से परे सिद्ध है और उसी के कृत्य से मृत्यु कारित हुई।

बिन्दु 3 — मीना के संबंध में, पी. डब्लू.-1 के अनुसार उसका मौके पर आकर हत्या हेतु उकसाना और तत्पश्चात तत्काल फायरिंग होना, साझा आशय (धारा 34) की ओर संकेत करता है। धारा 34 के सिद्धांतों के आलोक में, मीना का दायित्व धारा 302/34 के अंतर्गत स्थापित होता है।

बिन्दु 4 — आयुध अधिनियम की धारा 30 के अनुसार लाइसेंस/नियम की शर्तों का उल्लंघन (जहाँ अन्यत्र दण्ड का प्रावधान नहीं) दण्डनीय है। उपलब्ध साक्ष्य (लाइसेंसी राइफल का घटना के संदर्भ में पाया जाना/उपयोग का अभियोजन कथन) से यह स्थापित होता है कि अमर बहादुर ने लाइसेंसी आयुध का उपयोग/रख-रखाव लाइसेंस शर्तों के प्रतिकूल किया; अतः वह धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषी है।

50. दोषसिद्धि (Conviction)

अतः न्यायालय यह निर्णीत करता है कि अभियुक्त अमर बहादुर तथा अभियुक्ता मीना को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। धारा 34 का पाठ/दायित्व सिद्धांत तथा धारा 302 के दण्ड-प्रावधान के अनुसार परिणामस्वरूप दण्डादेश पारित किया जाना है। अभियुक्त अमर बहादुर को धारा 30 आयुध अधिनियम, 1959 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। शेष आरोप—धारा 504/506/120बी भा. दं. सं. के संबंध में, विशिष्ट/स्वतंत्र आवश्यक तत्वों के अभाव में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है, क्योंकि प्रमुख दण्डनीय कृत्य (हत्या) धारा 302/34 में समाहित होकर सिद्ध हो चुका है और अतिरिक्त अपराधों के लिए पृथक ठोस साक्ष्य/तत्व-स्थापना आवश्यक है।

51. दण्ड पर सुनवाई, दण्डनिर्धारण एवं दण्डादेश

दोषसिद्धि के उपरान्त, दं. प्र. सं. की धारा 235(2) के अनुसार अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक है; यह प्रावधान सत्र विचारण में “दोष” और “दण्ड” के पृथक् चरण पर बल देता है। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाए; जमानत/मुचलके निरस्त माने जाएँ। पत्रावली दंड की मात्रा के बिंदु पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश के पश्चात पेश हो।

दिनांक 10.02.2026

(चन्द्रोदय कुमार)

सत्र न्यायाधीश

अंबेडकर नगर

पत्रावली भोजनावकाश के पश्चात पेश हुई। उभय पक्ष को सुना गया।

धारा 302 भा. दं. सं. में दण्ड “मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास तथा जुर्माना” है। जहाँ मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास वैकल्पिक दण्ड हैं, दं. प्र. सं. की धारा 354(3) के अनुसार न्यायालय को दण्ड के कारण (और मृत्युदण्ड हो तो विशेष कारण) दर्ज करने होते हैं।

दण्ड के चयन पर कारण

इस मामले में न्यायालय निम्न बातों को अपराधिक-गंभीरता (aggravation) के रूप में देखता है:

(i) अग्नेयास्त्र का उपयोग कर रात्रि में घर के सामने हत्या; (ii) विवाद/रंजिश के कारण हिंसा; (iii) एक परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु, जिससे आश्रितों पर गंभीर प्रभाव।

परंतु उपलब्ध अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं है जो इस हत्या को “अत्यंत विरलतम से विरलतम (rarest of rare)” श्रेणी में ले जाकर मृत्युदण्ड के लिए आवश्यक “विशेष कारण” उत्पन्न करे। मृत्युदण्ड का सिद्धांतगत मानदण्ड/सीमा द्वारा “rarest of rare” सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया है और उसका अनुप्रयोग अपवादस्वरूप है ([Bachan Singh vs State Of Punjab on 9 May, 1980: AIR1980SC898](#))। अतः न्यायालय का विवेक यह है कि आजीवन कारावास इस मामले में न्यायोचित, अनुपातिक और विधिसम्मत दण्ड है। धारा 30 आयुध अधिनियम में अधिकतम दण्ड “छह माह तक का कारावास या ₹2000 तक जुर्माना या दोनों” है।

अतः न्यायालय के मत में निम्न दण्डादेश पारित करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी—

अभियुक्त अमर बहादुर एवं अभियुक्ता मीना को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) जुर्माना से

दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। धारा 302 के अंतर्गत दण्ड-प्रावधानानुसार जुर्माना दण्ड का भाग है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त अतिरिक्त 02 वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा। (यह अतिरिक्त दण्ड केवल जुर्माने के डिफॉल्ट हेतु है।) अभियुक्त अमर बहादुर को धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 06 माह का कठोर कारावास तथा ₹2,000/- जुर्माना से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 01 माह का साधारण कारावास भोगेगा।

दं. प्र. सं. की धारा 357 के अनुसार, यदि जुर्माना वसूल होता है, तो उसका उपयुक्त भाग मृतक की पत्नी /आश्रितों को प्रतिकर (compensation) के रूप में दिया जाना न्यायोचित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि वसूल जुर्माने का ₹30,000/- (यदि पूर्ण वसूली हो) मृतक के विधिक आश्रितों को प्रतिकर स्वरूप दिया जाना चाहिए व मृतक का परिवार विक्टिम काम्पन्सेशन स्कीम के अंतर्गत भी काम्पन्सेशन प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए।

आदेश

अभियुक्त अमर बहादुर एवं अभियुक्ता मीना को धारा 302/34 भा. दं. सं. में दोषसिद्ध के पश्चात निम्न वर्णित दण्डादेश पारित किया जाता है:

अभियुक्त अमर बहादुर एवं अभियुक्ता मीना को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) जुर्माना से दण्डित किया जाता है। धारा 302 के अंतर्गत दण्ड-प्रावधानानुसार जुर्माना दण्ड का भाग है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त अतिरिक्त 02 वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा।

अभियुक्त अमर बहादुर को धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 06 माह का कठोर कारावास तथा ₹2,000/- जुर्माना से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 01 माह का साधारण कारावास भोगेगा।

दं. प्र. सं. के प्रासंगिक सिद्धांतों के अनुरूप, धारा 30 आयुध अधिनियम का दण्ड, धारा 302/34 के दण्ड के साथ साथ-साथ (concurrently) चलेगा, ताकि दण्ड अनुपातिक रहे और एक ही मामले से उत्पन्न गौण अपराध के लिए अनावश्यक संचयी कठोरता न हो।

दं. प्र. सं. की धारा 428 के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा विवेचना/विचारण के दौरान निरुद्ध अवधि का सेट-ऑफ दण्डावधि में दिया जाएगा। दं. प्र. सं. की धारा 357 के अनुसार, यदि जुर्माना वसूल होता है, तो उसका उपयुक्त भाग मृतक की पत्नी /आश्रितों को प्रतिकर (compensation) के रूप में दिया जाना न्यायोचित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि

वसूल जुर्माने का ₹30,000/- (यदि पूर्ण वसूली हो) मृतक के विधिक आश्रितों को प्रतिकर स्वरूप दिया जाए। मृतक का परिवार विक्टिम काम्पन्सैशन स्कीम के अंतर्गत भी काम्पन्सैशन प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

अपील अवधि समाप्त होने पर या अपील न होने की दशा में/अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त आयुध/कारतूस राज्य के पक्ष में जब्त (confiscate) किए जाना जाएगा।

निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तथा दं. प्र. सं. की धारा 354 के अनुरूप दण्ड/धाराएँ स्पष्ट अंकित की जाएँ। अनुपालन हेतु आदेश की प्रति संबंधित कारागार/अधिकारियों (विधिक सेवा प्राधिकरण सहित) को प्रेषित की जाए।

दिनांक 10.02.2026

(चन्द्रोदय कुमार)

सत्र न्यायाधीश

अंबेडकर नगर